[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchchatar Siksha Vibhag)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 22nd January, 2026

NOTIFICATION

No. 9-10/2025-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application was uploaded on UGC Portal by Prestige Education Foundation (a not-for-profit Company) for grant of deemed to be University status under general category to Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore, Madhya Pradesh.

3. **And whereas,** UGC, vide its letter No. 29-3/2024 (CPP-I/DU) dated 21.02.2025, informed that UGC Expert Committee, after examining the application as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023, unanimously recommended for grant of Institution deemed to be University status under general category to Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore, Madhya Pradesh with certain conditions. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 586th meeting (Item No. 2.11) held on 23.12.2024.

4. **Now, therefore**, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore, Madhya Pradesh as an Institution deemed to be University under general category. The said declaration is subject to the following conditions:

i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
ii. All the moveable and immoveable assets should be either in the name of the deemed to be University or Prestige Education Foundation.
iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
iv. Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore shall maintain teacher-students ratio of 1:20 as required under UGC Regulations, 2023.
v. Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

vi. The academic programmes to be offered at Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

vii. Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore shall align its courses with National Education Policy-2020.

viii. Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore.

x. Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

xi. Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

xii. Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xiii. Prestige Institute of Management and Research (PIMR), Indore shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

(Armstrong Pame)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2307 1486

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002 (with direction to ensure and monitor the compliance of the conditions mentioned in the Para 4 of this Notification by the Institute).
2. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
3. The Chairman, 2, Prestige education Foundation, Education and Health Sector, Scheme No.54, Indore-452010, Madhya Pradesh.
4. The Director IQAC, Prestige Institute of Management and Research, Prestige Campus, Scheme No. 74 C, Sector D, Indore, Madhya Pradesh
5. The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh.
6. The Vice-Chancellor, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, RNT Marg, Chhoti Gwaltoli, Indore, Madhya Pradesh 452001.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
8. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
9. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
10. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23381578

[भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 22 जनवरी, 2026

अधिसूचना

सं. **9-10/2025**-यू.3(ए)): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन (एक गैर-लाभकारी कंपनी) द्वारा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर, मध्य प्रदेश को सामान्य श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया था।

3. **और जबकि,** यूजीसी ने दिनांक 21.02.2025 के अपने पत्र संख्या 29-3/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद, सर्वसम्मति से कुछ शर्तों के साथ प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर, मध्य प्रदेश को सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने की सिफारिश की। आयोग द्वारा दिनांक 23.12.2024 को हुई अपनी 586वीं बैठक (मद संख्या 2.11) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।.

4. **अत: अब**, , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, एतदद्वारा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर, मध्य प्रदेश को सामान्य श्रेणी के तहत एक सम-विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचन पत्रों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

ii. संपूर्ण चल और अचल परिसंपत्तियां सम-विश्वविद्यालय या प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर होंगी।

iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

iv. प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर यूजीसी विनियम, 2023 के तहत आवश्यक शिक्षक-छात्र अनुपात 1:20 बनाए रखेगा।

v. प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।

vi. प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

vii. प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के साथ अनुकूलित करेगा।

viii. प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर सभी पात्र शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए निर्धारित करवाने है और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए, जैसा भी मामला हो, समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।

ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर) इंदौर द्वारा इनका पालन किया जाएगा।

x. प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को एमओए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक हो, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यवतित या संशोधित या परिवर्तित करेगा।

xi. प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

xii. प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xiii. प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (पीआईएमआर), इंदौर अनिवार्य रूप से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), उनके छात्रों की पहचान बनाएगा और डिजिटल लॉकर में उनके क्रेडिट स्कोर को अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में परिलक्षित हो और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएं।

(आर्मस्ट्रांग पामे)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2307 1486

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड़, नई दिल्ली - 110002

<u>प्रति अग्रेषित</u>:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 (संस्थान द्वारा इस अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और निगरानी करने के निदेश के साथ)।
2. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
3. निदेशक, 2, प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, योजना संख्या 54, इंदौर-452010, मध्य प्रदेश।
4. प्राचार्य, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, प्रेस्टीज कैंपस, स्कीम नंबर 74 सी, सेक्टर डी, इंदौर, मध्य प्रदेश
5. प्रमुख सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।
6. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आरएनटी मार्ग, छोटी ग्वालटोली, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001।
7. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002।

9. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सीएमआईएस इकाई को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
10. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 23381578